9.2.16 पत्रावली पेश हुई, वादीगण श्रीमती गंगा देवी पत्नि हीरा गुर्जर वगैरह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट पेश कर ग्राम बांकली स्थित आराजी नं. 92 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व आराजी नम्बर 101 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा पर ता फैसला वाद अस्थाई-निषेधाज्ञा चाही है, इस पर दिनांक 5.X.2006 को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर विपक्षीयान् को तलब किया गया।

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुमित्रा सारवंला ने अंडर टेकिंग की, मगर कोई अधिकार पत्र पेश नही हुआ. अत: वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई. जिन्होने अनावश्यक दिवस से बचने के लिए ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की।

प्रतिवादीगणों की कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नही हुआ है, अत: प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत आराजियात पर ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वो उक्त प्रश्नगत आराजियात का अन्तरण, हस्तान्तरण नही करे, एवं प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग मे कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल